COP26 जलवायु सम्मेलन

drishtiias.com/hindi/printpdf/cop26-climate-conference

प्रिलिम्स के लिये:

COP26, UNFCCC

मेन्स के लिये:

जलवायु परिवर्तन कारण, परिणाम और प्रयास

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले **COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन** की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी।

> इससे पहले **इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने पृथ्वी की जलवायु पर** अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें आने वाले दशकों में **हीट वेव, सूखे, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के स्तर में वृद्धि** पर प्रकाश डाला गया।

प्रमुख बिंदु

- **COP26 लक्ष्य: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुसार, COP26 चार लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा:**
    - **2050 तक नेट ज़ीरो:**
        - सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट-ज़ीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना।
        - देशों को महत्त्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान देने हेतु ज़ोर दिया जा रहा है, जो सदी के मध्य तक शून्य तक पहुँचने के साथ संरेखित है।
        - इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये देशों को निम्नलिखित कार्य करना होगा:
            - कोयले के फेज़-आउट में तेज़ी लाना
            - वनों की कटाई को रोकना
            - डीज़ल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग
            - अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना
    - **समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिये अनुकूलन:**

        देश 'पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा एवं पुनर्स्थापना तथा घरों, आजीविका और यहाँ तक कि जानमाल के नुकसान से बचने के लिये रक्षा, चेतावनी प्रणाली व लचीला बुनियादी ढाँचे एवं सतत् कृषि का निर्माण करने हेतु मिलकर काम करेंगे।'
    - **वित्त जुटाना:**

        विकसित देशों को प्रतिवर्ष **जलवायु वित्त** में कम-से-कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिये।
    - **मिलकर लक्ष्यों को पूरा करना:**
        - COP26 में एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य 'पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना' है।
        - नेता विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिये मिलकर काम करेंगे जो पेरिस समझौते को पूरा करने में सहायक होगा।
- **भारत के लिये सुझाव:**
    - अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)** को अपडेट करे।

        (एनडीसी राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रत्येक देश द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों का विवरण देता है)
    - विकास के लिये सेक्टर आधारित योजनाओं की ज़रूरत है।

        बिजली, परिवहन क्षेत्र के **डीकार्बोनाइजेशन** और प्रति यात्री मील कार्बन को सीमित करने की ज़रूरत है।
    - **कोयला क्षेत्र** को रूपांतरित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)

- **COP के बारे में:**
  - कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC के अंतर्गत आता है जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना "वायुमंडल में **ग्रीनहाउस गैस सांद्रता** को स्थिर करने" की दिशा में काम करने के लिये की गई थी।
  - COP, UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
  - इसने सदस्य राज्यों के लिये ज़िम्मेदारियों की एक सूची तैयार की है जिसमें शामिल हैं:
    - जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय खोजना।
    - जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में सहयोग करना।
    - जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
  - **बैठकें:**
    - COP सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। UNFCCC में भारत, चीन और अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं।
    - इसकी बैठक सामान्यतः बॉन में होती है, जब तक कि कोई भागीदार सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश नहीं करता है।
- **अध्यक्षता:**
  - COP अध्यक्ष का कार्यालय आमतौर पर पाँच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य के बीच चक्रीय रूप से घूमता है।
  - अध्यक्षता आमतौर पर उस देश के पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है।

महत्त्वपूर्ण परिणामों के साथ COPs

- **वर्ष 1995: COP1 (बर्लिन, जर्मनी)**
- **वर्ष 1997: COP3 (क्योटो प्रोटोकॉल)**
  यह कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों हेतु बाध्य करता है।
- **वर्ष 2002: COP8 (नई दिल्ली, भारत) दिल्ली घोषणा**
  सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **वर्ष 2007: COP13 (बाली, इंडोनेशिया)**
  पार्टियों ने बाली रोडमैप और बाली कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणामों की ओर तीव्रता प्रदान की। इस योजना में पाँच मुख्य श्रेणियाँ- साझा दृष्टि, शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण शामिल हैं।
- **वर्ष 2010: COP16 (कैनकन)**
  - कैनकन समझौतों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया।
  - **हरित जलवायु कोष,** प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन अनुकूलन ढाँचे की स्थापना की गई।
- **वर्ष 2011: COP17 (डरबन)**
  सरकारें 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिये प्रतिबद्ध हैं (जिसके परिणामस्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ)।
- **वर्ष 2015: COP21 (पेरिस)**
  - वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना तथा और अधिक सीमित (1.5 डिग्री सेल्सियस तक) करने का प्रयास करना।
  - इसके लिये अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना 100 अरब डॉलर की फंडिंग प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है।

- **वर्ष 2016: COP22 (माराकेश)**
    - पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ना।
    - जलवायु कार्रवाई हेतु माराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई।
- **वर्ष 2017: COP23 (बॉन, जर्मनी)**
    - देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता वर्ष 2020 से कैसे कार्य करेगा।
    - डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की।
    - यह एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला COP था, जिसमें फिजी ने अध्यक्षीय पद संभाला था।
- **वर्ष 2018: COP24 (काटोवाइस, पोलैंड)**
    - इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिये एक 'नियम पुस्तिका' को अंतिम रूप दिया गया था।
    - नियम पुस्तिका में जलवायु वित्तपोषण सुविधा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयाँ शामिल हैं।
- **वर्ष 2019: COP25 (मैड्रिड, स्पेन)**
    - इसे मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित किया गया था।
    - इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस